



अशांत क्षेत्र अधिनियम

प्रलिस के लिये

वधियक पर राष्ट्रपतकी अनुमति

मेन्स के लिये

अशांत क्षेत्र अधिनियम से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोवदि ने गुजरात वधानसभा द्वारा पारित 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' (Disturbed Areas Act) में संशोधन से जुड़े एक वधियक पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान में यह अधिनियम गुजरात के अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, हमिमत नगर, गोधरा, कपडवंज और भुरूच में लागू है।

क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम?

- 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' को सबसे पहले वर्ष 1986 में लागू किया गया था।
- अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत ज़िला कलेक्टर को शहर या कस्बे के किसी भाग को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है।
- ज़िला कलेक्टर द्वारा यह अधिसूचना आमतौर पर क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के आधार पर जारी की जाती है।
- इस अधिसूचना के जारी होने के बाद संबंधित 'अशांत क्षेत्र' में किसी संपत्तिका हस्तांतरण तभी हो सकता है, जब खरीदार और संपत्तिके विक्रेता द्वारा दिये गए आवेदन पर ज़िला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है।
- इस आवेदन में विक्रेता को एक हलफनामा संलग्न करना होगा जिसमें उसे यह लिख कर देना होगा कि वह स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेच रहा है तथा इसके लिये उसे सही मूल्य प्राप्त हुआ है।
- अधिसूचित क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तिको कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
- राज्य सरकार के अनुसार, इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामलों की निगरानी करना है।

संशोधन का कारण:

- गुजरात सरकार के अनुसार, कई वधियकों और अन्य लोगों द्वारा इस अधिनियम में कुछ कानूनी खामियों का मुद्दा उठाए जाने के बाद यह संशोधन लाया गया है।
- इस अधिनियम के पूर्व संस्करण में ज़िला कलेक्टर को विक्रेता द्वारा दिये गए शपथ पत्र के आधार पर यह सुनिश्चित करना था कि उसने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेची है और इसके लिये उसे उचित मूल्य (बाज़ार के अनुरूप) प्राप्त हुआ है।
- हालाँकि सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि 'अशांत' के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में असामाजिक तत्त्वों द्वारा लोगों को धमकी देकर या अधिक कीमत का लालच देकर संपत्तियों की खरीद और बिक्री की जा रही थी।
- सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों के अनुसार, असामाजिक तत्त्वों द्वारा इस अधिनियम के उन प्रावधानों के तहत संपत्तिका पंजीकरण कराया गया जिसके अंतर्गत अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत ज़िला कलेक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में क्लस्टरिंग (Clustering) या ध्रुवीकरण के मामले देखने को मिले हैं।
- अधिनियम की इस कमी को दूर करने और इसके प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में सज़ा को बढ़ाने के लिये गुजरात वधानसभा में जुलाई 2019 में इस संशोधन वधियक को प्रस्तुत किया गया था।

संशोधित अधिनियम में शामिल सुधार:

- संशोधति अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र में 'धरुवीकरण' या किसी समुदाय विशेष के व्यक्तियों की 'अनुचित क्लस्टरिंग' की संभावनाओं का पता लगाने के लिये ज़िला कलेक्टर की शक्तियों में वसितार किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को कलेक्टर के नरिण्यों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- अधिनियम में ऐसे मामलों की जाँच के लिये एक विशेष जाँच दल (Special Investigation Team- SIT) या समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।
 - नगर नगिम में शामिल क्षेत्रों के मामलों में इस SIT में संबंधित कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे।
 - नगर नगिमों के अलावा अन्य क्षेत्रों में इस SIT में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय नगर आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
- संशोधति अधिनियम में राज्य सरकार को एक सलाहकार समिति बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह समिति सरकार को अशांत क्षेत्र अधिनियम से जुड़े वभिन्न पहलुओं (जैसे- अशांत क्षेत्रों की सूची में नए क्षेत्र को शामिल करना आदि) पर सलाह देने का कार्य करेगी।
- अशांत क्षेत्रों में कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना संपत्तियों के हस्तांतरण के पंजीकरण की जाँच करने के लिये संशोधति अधिनियम में 'स्थानांतरण' शब्द का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अशांत क्षेत्रों में बकिरी, उपहार, वनिमिय और पट्टे के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण को शामिल किया गया है।
 - इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत अशांत क्षेत्रों में कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बगैर किसी संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जा सकता।
- संशोधति अधिनियम के तहत संपत्ति के मालिक को केवल अपने उद्देश्य के लिये संपत्ति के पुनर्विकास की अनुमति दी गई है, परंतु यदि मालिक पुनर्विकसति संपत्ति पर किसी नए व्यक्ति (जैसे- करियेदार) को लाना चाहता है, तो उसे इसके लिये कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।
- अधिनियम के प्रावधान किसी अशांत क्षेत्र में सरकार की पुनर्वास योजनाओं पर लागू नहीं होंगे, जहाँ सरकार द्वारा वसिथापति लोगों का पुनर्वास का कार्य किया जा रहा हो।

दंड का प्रावधान:

- पूर्व में इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 माह का कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान था।
- संशोधति अधिनियम के अनुसार, इसके प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को 3-5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही इस संशोधन के पश्चात् दोषी को जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपए या संपत्ति की जंती दर (गुजरात राज्य के वभिन्न हसिसों में संपत्ति की कीमतों की अनुमान संबंधी दर) का 10% (जो भी अधिक हो) का आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है।

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस